राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1174/2014/उदयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड सप्तम, वृत बी, कोटा .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स सोना प्रिन्टर्स प्रा0लि0,
594, कालाजी–मोराजी रोड़, उदयपुर .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित :

श्री आर.के.अजमेरा,
उप राजकीय अभिभाषक .....विभाग की ओर से

श्री वी.सी.सोगानी, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से

दिनांक : 07.06.2018

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, उदयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 126/वैट/13–14/उदयपुर में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 17.02.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड सप्तम, वृत–बी, कोटा (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.09.2013 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत आरोपित शास्ति राशि को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किया गया।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट द्वितीय, वृत प्रतिकरापवंचन, कोटा द्वारा ट्रांसपोर्ट चैकिंग के दौरान ट्रांसपोर्ट नगर, कोटा स्थित जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट कम्पनी (रजि.) ब्रांच कोटा द्वारा विभिन्न स्थानों से माल संचालित कर लाने के दस्तावेजों को चैक किया गया। वक्त चैकिंग जी.आर. सं. 210–015650 एवं इन्वॉयस नं. SPPL/13-14/EX0166 जारीकर्ता प्रत्यर्थी द्वारा ओखला, दिल्ली से कोटा के लिये नोटबुक कीमतन रूपये 1,35,202/– स्टॉक ट्रांसफर के क्रम में परिवहनित की जा रही थी, जिसके साथ घोषणा पत्र वैट 47 संलग्न नहीं पाया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया नोटिस की पालना में फर्म के प्रतिनिधि द्वारा लिखित प्रत्युत्तर के साथ में घोषणा पत्र वैट 47 प्रस्तुत किया गया। परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त जवाब को अस्वीकार करते हुए तथा उक्त प्रस्तुत घोषणा पत्र वैट 47 के किनारों पर अंकित उपयोग की तिथि एवं माह तथा माल की कीमत पंच नहीं होने से उसे करापवंचन मानते हुए अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति रूपये 40,561/– आरोपित की गई।

निरन्तर.....2

3. कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपीलीय अधिकारी ने प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए आरोपित शास्ति राशि को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है, अतः उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन किया एवं कथन किया कि यद्यपि माल के परिवहन के समय घोषणा पत्र वैट 47 साथ में नहीं पाया गया था परन्तु प्रत्यर्थी द्वारा जवाब के साथ में उक्त फॉर्म प्रस्तुत कर दिया गया था एवं प्रत्यर्थी की करापवंचना की कोई मंशा नहीं थी, अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति अपास्त किया जाना पूर्णतः विधिसम्मत है। उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि माल के परिवहन के समय घोषणा पत्र वैट 47 साथ में नहीं पाया गया था इस कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा शास्ति आरोपित की गई, परन्तु प्रत्यर्थी द्वारा जवाब के साथ घोषणा पत्र वैट 47 प्रस्तुत कर दिया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स डी.पी.मेटल्स (124 एसटीसी पेज 611) के प्रकरण में दिये गये निर्णय में यह निर्णीत किया गया है कि यदि किसी कारणवश घोषणा पत्र साथ में नहीं दिया जा सका हो तो प्राकृतिक न्याय के दृष्टिगत रखते हुए इस हेतु अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। प्रत्यर्थी द्वारा चूंकि नोटिस के जवाब में प्रस्तुत प्रत्युत्तर के साथ में घोषणा पत्र वैट 47 पेश कर दिया गया था, अतः प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थिति को देखते हुए अपीलीय अधिकारी द्वारा इसे मान्य करते हुए शास्ति अपास्त किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की गई है।

7. फलतः अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है तथा राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

8. निणर्य सुनाया गया।

07.06.2018

(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य